

सुरक्षा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

413, डा. बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उ.प्र.

फैक्स 0522-2781005

पत्रांक:सुरक्षा/आधु.प्रस्ताव-2मा.ए.-167/2007-14

दिनांक:अक्टूबर ,2014

वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध हेतु अल्पकालिक निविदा

सुरक्षा मुख्यालय, उ.प्र., न्यू हैदराबाद, लखनऊ के अधीनस्थ शासकीय भवन की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु अधिष्ठापित उपकरणों की वारण्टी अवधि समाप्त होने के क्रम में अधिष्ठापित उपकरणों के पूर्णरूपेण क्रियाशील बनाये रखने के सम्बन्ध में वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जा रही है। वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की परिधि में आने वाले उपकरणों/सहवर्ती उपकरणों का विवरण निम्नवत है:-

आप्टिकल फाइबर युक्त आईपी सीसीटीवी सिस्टम एवं अन्य उपकरण

S.N.	Item Description	Make & Model	Qty
1	IP PTZ CAMERA	Pelco	08
2	Work Station	HP	1 Set
3	X-Ray Baggage	Smith	01
4	Explosive & Narcotics Detector	Smith	01
5	D.S.M.D.	ATMID	02
6	D.F.M.D.	Garrett	02

वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (कम्प्रेहेन्सिव) हेतु निम्नवत नियम/शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये एएमसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये:-

- 1- निविदा हेतु वॉलेंटि अर्नेस्ट मनी रू0 34,000.00 का बैकड्राफ्ट पुलिस महानिरीक्षक,सुरक्षा,लखनऊ के पक्ष में देय हो। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 2- निविदाये 04 सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिये। सभी लिफाफे पर ओरिजनल टेक्निकल प्रस्ताव/डुप्लीकेट टेक्नीकल प्रस्ताव तथा ओरिजनल वित्तीय प्रस्ताव/डुप्लीकेट वित्तीय प्रस्ताव लाल रंग की स्याही से अंकित होना चाहिये। तकनीकी प्रस्ताव में मूल्य कदापि अंकित न किये जायें।
- 3- निविदादाता फर्मों द्वारा रू0 10/- के स्टैम्प पेपर पर इस बात का शपथ-पत्र दिया जायेगा कि उन्हें किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- 4- जिन मेक व मॉडल का सीसीटीवी सिस्टम व सहवर्ती उपकरण अधिष्ठापित है उन्ही मेक /मॉडल की एएमसी के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। एएमसी हेतु किसी अन्य मेक/मॉडल का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उसे कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5- एएमसी हेतु निविदादाता फर्म प्रतिष्ठित हों तथा उन्हें इसी प्रकार के सिस्टम (सरकारी/अर्धसरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों) के अधिष्ठापन एवं एएमसी करने का अनुभव प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराना होगा, जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग से भी कराया जायेगा।
- 6- फर्म को सरकारी/अर्धसरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में सीसीटीवी सिस्टम के अधिष्ठापन/संचालन के सम्बन्ध में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो, जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग से भी कराया जायेगा।
- 7- निविदादाता फर्मों द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उपकरणों की मूल निर्माता कम्पनी द्वारा उन्हें आफ्टर सेल्स सर्विस हेतु अधिकृत किया गया है। बिना प्राधिकार पत्र के निविदा अमान्य

- समझी जायेगी तथा मूल निर्माता कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले प्राधिकार-पत्र में टेंडर नोटिफिकेशन संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 8- वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणित मानी जायेगी।
- 9- एएमसी अनुबंधकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी को सुरक्षा आवश्यकताओं के दृष्टिगत निविदा प्रक्रिया/अनुबंध की प्रक्रिया को कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना/कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 10- निविदा/वास्तविक अनुबंध की नियम/शर्त, पेनाल्टी क्लोज, सिस्टम के निरन्तर संचालन हेतु अन्य आवश्यक प्राविधानित व्यवस्थाये किसी भी कार्यालय दिवस में अथवा उ.प्र. पुलिस की वेबसाइट <http://www.uppolice.up.nic.in> पर देखी जा सकती है तथा निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 350.00 है, जिसका बैकड्राफ्ट पुलिस महानिरीक्षक,सुरक्षा के नाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र मूल्य के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11- निविदादाता फर्मों को इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा कि सिस्टम की एएमसी किये जाने से सम्बन्धित समस्त उपकरण व स्पेयर पार्ट्स व सर्विस सेंटर उपलब्ध है।
- 12- व्यापाकर कर विभाग/केन्द्रीय बिक्रीकर/सर्विस कर विभाग में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगाना होगा।
- 13- TAN/PAN रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रपत्र लगाना आवश्यक होगा।
- 14- निविदा प्रपत्र जमा करने सम्बन्धी कार्यक्रम निम्नवत है:-
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1-निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय- | दिनांक 28.10.2014, 1200 बजे |
| 2-निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि व समय- | दिनांक 28.10.2014, 1600 बजे |

(ओ.पी.श्रीवास्तव)

पुलिस अधीक्षक,(प्रशिक्षण एवं सुरक्षा)
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक,(सुरक्षा)
मोबाइल संख्या 09454400347

नियम व शर्तें

पत्रावली संख्या: सुरक्षा/आधु.प्रस्ताव-2मा.ए.-167/2007-14

निविदा खुलने का दिनांक: अक्टूबर 28, 2014

S.N.	Item Description	Make & Model	Qty	EMD Required (In Rupees)	Proposal Form Fee (In Rupees)
1	IP PTZ CAMERA	Pelco	08	34,000.00	350.00
2	Work Station	HP	1 Set		
3	X-Ray Baggage	Smith	01		
4	Explosive & Narcotics Detector	Smith	01		
5	D.S.M.D.	ATMID	02		
6	D.F.M.D.	Garrett	02		

वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध स्वीकार किये जाने से सम्बन्धित प्राविधानित नियम व शर्तें

- 1- सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी आने पर फर्म के इंजीनियर को सिस्टम को 8 से 12 घंटे के अन्दर अटेण्ड करना होगा।
- 2- फर्म का इंजीनियर अधिष्ठापित उपकरणों की क्रियाशीलता का निरीक्षण स्वतः एक निश्चित अन्तराल पर करता रहेगा तथा विशेष अवसरों पर अधिष्ठापन स्थल पर उपस्थित रहकर सिस्टम को क्रियाशील रखेगा। फर्म को एक रेजीडेन्ट इंजीनियर लखनऊ में एएमसी की समयावधि तक नियुक्त रखना अनिवार्य होगा ताकि अनुरक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- 3- 12 घंटे के अन्दर यदि कम्प्लेन्ट अटेण्ड नहीं की गई है और ऐसा होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण सिद्ध नहीं किया गया और खराबी जारी रहती है तो 12 घंटे के उपरान्त प्रथम दिवस के लिये वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की कुल धनराशि का 1 प्रतिशत तत्पश्चात प्रत्येक दिवस हेतु रू0.....प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा कुल प्रस्ताव की धनराशि का 10 प्रतिशत होगी। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय का अधिकार अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा का होगा।
- 4- नॉन कम्प्रेहेन्सिव वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की अवधि में सीसीटीवी सिस्टम व अन्य सुरक्षा उपकरणों में खराबी आने पर किसी भी पार्ट्स के मरम्मत एवं बदले जाने की स्थिति में उपकरण/ सहवर्ती उपकरण के वास्तविक मूल्य का ही भुगतान किया जायेगा। ऐसी स्थिति में फर्म को तत्काल खराब पार्ट्स को बदलना होगा तथा उसके पश्चात उपकरण के वास्तविक मूल्य का बिल भुगतान हेतु उपलब्ध कराना होगा जिसका भुगतान बाद में किया जायेगा। फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त व्यवस्था अपने पास रखें ताकि ब्रेक डाउन की स्थिति में सम्पूर्ण सीसीटीवी सिस्टम एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का कोई भी मुख्य पार्ट/अंश अक्रियाशील अवस्था में कदापि न रहे। फर्म की यह भी जिम्मेदारी होगी कि पर्याप्त संख्या में कैमरे, केबिल, नेटवर्किंग एवं रिकार्डिंग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स/डिवाइस/Consumable items यथा यूपीएस बैट्री, हार्डडिस्क, सीआरटी एवं कनेक्टर्स आदि की व्यवस्था पूर्व से ही रखें ताकि ब्रेकडाउन होने पर तत्काल सिस्टम को क्रियाशील

- किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी पार्ट के कारण सिस्टम अक्रियाशील न होने पाये। विद्युत व्यवस्था हेतु पर्याप्त अर्थिंग, कन्ट्रोल रूम में कूलिंग की व्यवस्था, पावर बैकअप की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी ताकि सिस्टम संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। **VOLTAGE FLUCTUATION** की समस्या के निराकरण के लिये फर्म को पर्याप्त संख्या में सर्वो स्टेबलाईजर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
- 5- सीसीटीवी सिस्टम एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का अनुरक्षण सामान्य रूप से प्रत्येक 1 माह के अन्तराल पर अर्थात् वर्ष में 12 बार किया जायेगा तथा अनुरक्षण किये जाने की रिपोर्ट नियमित रूप से फर्म द्वारा विभाग (सुरक्षा मुख्यालय एवं मुख्य सुरक्षाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त जब कभी भी फ़ैक्स/फोन द्वारा आकस्मिक **ब्रेक डाउन की सूचना फर्म को प्राप्त होगी अधिकतम 12 घण्टे के अन्दर ब्रेक डाउन अटेण्ड किया जायेगा। ब्रेक डाउन अटेण्ड किये जाने की कुल संख्या को नियमित अनुरक्षण की निर्धारित संख्या (प्रत्येक 01 माह के अन्तराल पर/वर्ष में 12 बार) से जोड़ा अथवा घटाया नहीं जायेगा।** अनुरक्षण की अवधि में फर्म के किसी अधिकारी / कर्मचारी को, अनुरक्षण कार्य के मध्य दुर्घटनावश, यदि कोई क्षति/मृत्यु होती है तो उसके लिये सुरक्षा मुख्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 6- वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के लिये स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार आयकर काटकर भुगतान उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 7- इस अनुबंध की वैधता एक वर्ष तक होगी तथा न्यूनतम/अनुमोदित मूल्य 03 वर्षों तक मान्य होंगे। फर्म अनुमोदित मूल्य में आगामी 03 वर्षों तक एएमसी हेतु बाध्य होगी तथा एएमसी के मूल्य में वृद्धि नहीं की जायेगी। वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की शर्तें/नियम के पालन में असफल रहने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अधिकार सुरक्षा शाखा के पास सुरक्षित रहेगा और फर्म को अग्रिम भुगतान की गई धनराशि तथा उस पर अनुमन्य 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापस प्राप्त किये जाने का पूर्ण अधिकार भी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। इस अनुबंध के उपरान्त दोनों पक्ष बिना लिखित आपसी सहमति के अनुरक्षण कार्य को पूर्णतया अथवा इसके किसी भाग को तीसरे पक्ष को हस्तान्तरित नहीं कर सकेंगे। अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि इसका नवीनीकरण नहीं होता तो फर्म का कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी भी दशा में इस अनुरक्षण के किसी तथ्य के विषय में किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि को कोई जानकारी नहीं देगा और न ही किसी सूचना का हस्तान्तरण करेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उसकी लिखित सहमति सुरक्षा शाखा के अधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेगी।
- 8- फर्म के इंजीनियर द्वारा सीसीटीवी सिस्टम एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के मेन्टीनेन्स हेतु अपने स्थलीय भ्रमण के अवसर पर प्रत्येक भ्रमण के समय अधिक से अधिक कर्मियों को मेन्टीनेन्स का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जायेगा जिसकी सूची उनके भ्रमण के अवसर पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

- 9- किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्याय क्षेत्र लखनऊ, 30प्र0 होगा। पुलिस महानिदेशक, 30प्र0, द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिसे दोनों पक्ष मानने हेतु बाध्य होंगे।
- 10- एएमसी की मूल धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में (बैंक गारण्टी/ बैंकड्राफ्ट/एफडीआर) जो पुलिस महानिरीक्षक(सुरक्षा) के नाम देय हो, एएमसी की अवधि तक सुरक्षा मुख्यालय में जमा करना होगा। एएमसी की नियम शर्तों के अनुपालन में विफल रहने पर जमानत धनराशि को जब्त करने का अधिकार अपर पुलिस महानिदेशक,सुरक्षा का होगा।
- 11- एएमसी हेतु निविदा 04 सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिये। सभी लिफाफे पर ओरिजनल टेक्निकल प्रस्ताव/डुप्लीकेट टेक्निकल प्रस्ताव तथा ओरिजनल वित्तीय प्रस्ताव/डुप्लीकेट वित्तीय प्रस्ताव लाल रंग की स्याही से अंकित होना चाहिये। तकनीकी प्रस्ताव में मूल्य कदापि अंकित न किये जायें।
- 12- फर्म को इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा कि सीसीटीवी सिस्टम व अन्य सुरक्षा उपकरणों के अनुरक्षण हेतु उनके पास पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है तथा उन्हें इस कार्यक्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।
- 13- फर्म को इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा कि सीसीटीवी सिस्टम के अनुरक्षण हेतु कम से कम 02 स्थानों पर उनके द्वारा किसी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग या प्राइवेट संस्थानों में अनुरक्षण का कार्य किया गया है, अथवा सीसीटीवी सिस्टम की आपूर्ति/अधिष्ठापन किया गया है।
- 14- सिस्टम के किसी पार्ट के खराब होने की स्थिति में उसे बाहर से मँगाये जाने की स्थिति में फार्म-39 फर्म की माँग पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 15- सीसीटीवी सिस्टम में 30 दिवस की रिकार्डिंग की व्यवस्था करना फर्म का दायित्व होगा।
- 16- सुरक्षा मुख्यालय की गठित तकनीकी समिति द्वारा फर्म के सर्विस सेंटर का भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा।
- 17- व्यापार कर विभाग/केन्द्रीय बिक्रीकर/सर्विस टैक्स विभाग में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगाना होगा।
- 18- TAN/PAN रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रपत्र लगाना आवश्यक होगा ।
- 19- अलग-अलग उपकरणों की एएमसी हेतु प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक ही फर्म द्वारा केन्द्रीकृत रूप से समस्त उपकरणों/ सिस्टम की एएमसी का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

(ओ.पी.श्रीवास्तव)

पुलिस अधीक्षक(प्रशिक्षण एवं सुरक्षा)
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक,(सुरक्षा)

FORM / SPD-3 FORM
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
SECURITY HEADQUARTER U.P., LUCKNOW
No. Suraksha/Adhu-Anu.32CCTV-193/2008-14
CONDITIONS OF AGREEMENT

S.N.	Item Description	Make & Model	Qty	EMD Required (In Rupees)	Proposal Form Fee (In Rupees)
1	IP PTZ CAMERA	Pelco	08	34,000.00	350.00
2	Work Station	HP	1 Set		
3	X-Ray Baggage	Smith	01		
4	Explosive & Narcotics Detector	Smith	01		
5	D.S.M.D.	ATMID	02		
6	D.F.M.D.	Garrett	02		

Date of Opening of Proposal: October 28 , 2014

1. The agreement is to last till but in the event of any breach of the terms of agreement at any time on the part of the supplier the agreement shall be determined summarily by the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow without compensation to the supplier.
2. The supplier will supply goods and materials from time to time in such quantities as may be entered in the indents sent at the rates set forth in the Schedule of rates at page (3).
3. The goods or materials to be supplied under the agreement are to be of the quality or sort in every respect equal and answerable to the patterns or sample sent with the quotations and approved by the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow. In the event of supplies not being up to the sealed sample accepted, but good enough for retention, the goods supplied may either be retained at a reduction in cost not exceeding 10 per cent of the total value or be returned to the supplier in accordance with paragraph 10 below at the option of the Indenting Officer. The goods may only be retained at a reduction if the supplier agrees.
4. The I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow may, by notice in writing, call upon the supplier to supply additional goods or materials to serve as samples, and upon such notice in writing the supplier shall be bound to supply additional samples of goods or materials, such additional samples being in all respects of same quality or sort as the sample first supplied.
5. (a) All rates are to be based on delivery, securely packed and f.o.r. stations nearest to suppliers or Indenting Officers as asked for in the **Proposal** notice.
 (b) Railway freights, if pre-paid, shall be added to the original quotations.
 (c) When goods are ordered f.o.r. the station nearest to supplier, the Indenting Officer may at his option direct that this shall be booked either by goods train or by passenger train and either at owner's risk or at railway risk. The supplier shall carry out his direction and shall, in any case, be responsible for the safe delivery of the goods soundly and securely packed to the Railway Administration and shall obtain from such Railway Administration a clear receipt for the goods in evidence thereof. In the absence of a clear receipt, the suppliers will be held responsible for all damages or loss caused by breakage or leakage which may occur to the goods while in transit and until they have been delivered to the consignee at railway station of destination.
 (d) When goods are ordered f.o.r. station of destination, the suppliers shall be required to bear all risks of loss, leakage or damage, and shall deliver the goods in good order to the consignee at railway station of destination, mentioned in the indent , in such quantities or number and with in such time and in such manner as the Indenting Officer shall, from time to time, direct.
6. Unless when specially ordered in the order accompanying the indent, all goods must be dispatched within 14 days of the receipt of indent by the supplier.
7. With every dispatch of goods or materials under the arrangement invoices or bills of parcels in duplicate are to be sent by the supplier to the Indenting Officer, the duplicate to be returned by the Indenting Officer with the quantities or number received duly noted thereon.
8. Conditions as to time for performance whether laid down herein or in the indent, shall be always regarded as the essence of the arrangement.

9. The I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow or any of the experts attached to the Security Department or the Indenting Officer or any other officer or person duly authorized in writing by the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow, shall have power to inspect the stores before, during and after manufacture, collection, dispatch, transit or arrival and to reject the same or any part or portion, if he or they be not satisfied that the same is equal or according to the sample or specification in weights, quantity and number.

10. Goods or materials rejected or refused on the ground of inferior quality or any other ground shall be removed by the supplier at his own risk and expense within ten days after notice has been received by him of such rejection. In the event of non-removal by the supplier as aforesaid within the said period of ten days, it shall be lawful for the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow to authorize the Indenting Officer to sell by public auction any rejected materials or goods and in such cases the supplier shall be credited with the sale proceeds thereof but will not be entitled to any loss of damage that may be occasioned by such sale. If the contractor is not satisfied with the decision of the authority rejecting or refusing goods, he may appeal to the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow within five days of the receipt of such notice, and the decision of the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow will be final in all cases.

11. The system of payment shall be as follows :

❖ Bill in triplicate shall be sent by the supplier to the Indenting Officer and on receipt of these, the Indenting Officer or his superior officer shall make payment direct. The suppliers may, however, for their own convenience send an advance intimations for the amount of the bill to the Indenting Officer but no advance payment shall be made.

❖ Payment shall ordinarily be made within one month of delivery. All payment shall be subject to the deduction of any amount to which the supplier may be or render himself liable under the terms of this arrangement.

12. Packing cases, containers, gunny packages, etc. which may be used for purposes of packing and which are delivered with stores will not be returned or paid for, unless specially stipulated.

13. The contractor shall not sub-let or assign this contract without the written permission of the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow. In the event of the contractor sub-letting or assigning this contract without such permission he shall be considered as having there-by committed a breach of this contract.

14. In the event of the suppliers not being in strict accordance with these conditions or not being delivered within the time allowed, the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow may recover from the contractor as liquidated damages and not by way of penalty the sum of one percent of the value of the said goods or materials for each and every day up to 25 days during which the articles to be supplied are not delivered or bad articles are not replaced. Further, it shall be lawful for the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow or the Indenting Officer to purchase the required articles or any suitable quality obtainable in the open market at the risk and cost of the contractor, who in addition to the liquidated damages aforesaid shall be liable for any loss or damages caused by the said purchase. The I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow shall alone be entitled to adjudge upon the penalty or compensation or damages due for delay in performance, as also to adjudge upon the advisability of taking other suitable action. If the delay shall have arisen from any cause which the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow may declare in writing to be a reasonable, such additional time may be allowed as may be considered necessary in the circumstances of the case. In such a case he may also forego the whole or any part of the aforesaid liquidated damages but not the other loss or losses.

15. In case of non-performance in any form or shape of the conditions of this arrangement the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow shall have power to annul, rescind or cancel the arrangement and upon his notifying in writing to the supplier that he has so done, this arrangement shall absolutely determine. He may also debar the firm for the Uttar Pradesh police Department contracts for such periods as he thinks fit.

16. In the event of any dispute arising out of or concerning this Agreement (except as to any matters the decision of which is specifically provided for this Agreement), the same shall be referred to the arbitration of an arbitrator nominated by the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow and an arbitrator nominated by the contractor. or in the case of the contractor or the said I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow failing to nominate an arbitrator within the time fixed in the notice to be served on him by the said I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow or the contractor, as the case may be, by the arbitrator, nominated by the said I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow and the contractor or in case of disagreement between the said arbitrators to an umpire appointed by them and the decision of such arbitrators or arbitrator or umpire, as the case may be, shall be final and binding on the parties. The arbitrators/arbitrator/umpire may from time to time with the consent of the parties enlarge the time for making and publishing the award.

17. Without prejudice to any other remedy provided by law any amount due from the supplier to the Governor will be recoverable as arrears of land revenue and may also be recovered by deduction from any amount due from the Governor to the supplier on any account under any other transaction.

18. The suppliers will send to the Deputy Director of Industries (Stores), Uttar Pradesh Kanpur, quarterly statement of goods they supply under this arrangement in the following form ;
Supplies during the quarter ending :

Name of officer	of	Indent no. and date	Name of article	Quantity or number supplied	Value of applies	Remarks (whether Indian make or foreign)
-----------------	----	---------------------	-----------------	-----------------------------	------------------	--

QUOTATION

1. I/We hereby quote to supply the goods and materials in the under writing Schedule in the manner in which and within the time specified, as set forth in the conditions of arrangement stated above at the rates given in the Schedule below. I/We hereby agree that in the event of Proposal being accepted the conditions of Para as 1 to 18, on pages 1 to 4 and those contained in the acceptance letter will be binding upon me/us and will, along with the quotation, be converted into and shall be deemed to be a completed agreement between me/us and the Governor of Uttar Pradesh from the date of issue of acceptance letter. I/We hereby further agree that if so required by the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow . I/We shall execute a formal Agreement Deed.
2. I/We here with deposit a sum of Rs. as earnest money and should I/We fail to execute a fresh deed of agreement if so required, by the I.G.(Security), Security Headquarter, U.P., Lucknow on behalf of the Governor of Uttar Pradesh and deposit the security as laid down in the Proposal notice within ten days of the acceptance of my/our Proposal. I/We hereby agree that, a part from my/our liability under the agreement, the above sum of earnest money will be forfeited to the Governor:

SCHEDULE OF RATES

S. No.	Item with specification	Unit	Rates per unit	Taxes		Total	Make and Brand
				Sales tax	Excise duty		
1	2	3	4	5	6	7	8

All rates are f.o.r.....

Dated the _____ Day of _____ 2014
Signature _____ Name of supplying firm _____
Address _____

N.B.—Please do not forget to fill in all the above columns.

Accepted

Signed

Designation

For and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh